

2026:AHC:49355

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 979/2026

अनवर हुसैन एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 21 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: धर्मवीर जायसवाल, हर्ष विक्रम

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: अरुण कुमार पाण्डेय, मुख्य स्थायी
अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्म वीर जायसवाल, राज्य-प्रतिवादियों की विद्वान राज्य विधि अधिकारी सुश्री हिमा पाल तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार पाण्डेय को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित प्रतिकार के लिए प्रस्तुत की गई है:-

“I. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को निर्देशित किया जाए कि वह द्वितीय अपील संख्या 248/2017 (एएल2017135400248), अनवर हुसैन एवं अन्य बनाम शाहादत हुसैन एवं अन्य का निस्तारण उस समयावधि के भीतर करे, जो इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाए।

II. कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उचित एवं न्यायपूर्ण समझे।”

3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का कथन है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई द्वितीय अपील स्वीकृत की जा चुकी है तथा वह विगत 9 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। उन्होंने यह प्रदर्शित करने के उद्देश्य से लंबित कार्यवाही की आदेश-पत्रिका प्रस्तुत की यह दर्शाने के लिए कि वाद का निस्तारण यथाशीघ्र नहीं हो रहा है। उन्होंने निवेदन किया कि उक्त द्वितीय अपील के शीघ्र निस्तारण हेतु समुचित निर्देश जारी किए जाएं।

4. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, यह याचिका प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि वह संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से, संबंधित पक्षकारों को विधि के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, उपर्युक्त कार्यवाही को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाते हुए यथाशीघ्र, अधिमानतः 3 माह की समयावधि के भीतर इसका निस्तारण करे।

(चन्द्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.